पंजीकृत/ई–मेल

प्रेषक,

उपसचिव,
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।

सेवा में,

जिला विद्यालय निरीक्षक,
आगरा, अलीगढ़, अम्बेडकरनगर, अमेठी, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बदायूँ, बागपत, बहराइच, बलिया, बलरामपुर, बॉदा, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फतेहपुर, फिरोजाबाद, फर्रूखाबाद, गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हमीरपुर, हापुड़, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झॉसी, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, लखनऊ, महाराजगंज, मैनपुरी, मथुरा, महोबा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, पीलीभीत, प्रतापगढ़, प्रयागराज, रायबरेली, रामपुर, सहारनपुर, संतकबीरनगर, संतरविदासनगर(भदोही), शाहजहॉपुर, सम्भल, शामली, श्रावस्ती, सिद्वार्थनगर, सीतापुर, सोनभद्र, सुलतानपुर, उन्नाव व वाराणसी।

पत्रांकः– 199-274/चयन/58–2021/2020–21 दिनांक 25/05/2021

विषयः– विज्ञापन 1/2016 टी0जी0टी0 व विज्ञापन संख्या–2/2016 पी0जी0टी0 विषय में रिक्तियों से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों का नाम संस्था को भेजने के विषय पर मांगे जा रहे निर्देश के संदर्भ में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक प्रदेश के विभिन्न जनपदों से विज्ञापन वर्ष 1/2016 टी0जी0टी0 तथा 2/2016 पी0जी0टी0 के प्रेषित पैनल में चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने से मना करने पर रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों को संस्था आवंटित करके पैनल उपलब्ध कराये जाने की मांग की जा रही है, जबकि इस संदर्भ में उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयनबोर्ड नियमावली 1998 के नियम 13(3) के अनुसार रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अंकित अभ्यर्थियों में से मेरिट कम से अगला नाम भेजने का कार्य सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक के स्तर से होना है। नियम 13(3) की व्यवस्था निम्नवत् है :–

"जब उपनियम (1) में निर्दिष्ट अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अनुगत समय के भीतर या ऐसे बढ़ाये गए समय के भीतर जैसा प्रबन्धतंत्र इस निमित्त अनुमति दें, पद का कार्यभार ग्रहण करने में असफल रहे या जहॉ, ऐसा अभ्यर्थी नियुक्ति के लिये अन्यथा उपलब्ध न हो, वहां निरीक्षक प्रबन्धतंत्र के अनुरोध पर ऐसे नये अभ्यर्थी या अभ्यर्थियों के नाम, जो पैनल से योग्यता कम में उसके बाद हों, भेजेगा।"

2. उपर्युक्त विज्ञापन से सम्बन्धित पैनल में रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में अभ्यर्थियों के नाम व पता का विवरण तैयार कर इसे चयनबोर्ड की अधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया गया है।
3. यदि चयनित अभ्यर्थी किन्ही कारणों से नियुक्ति हेतु अनुपलब्ध रहते हैं तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने के बाद विद्यालय प्रबन्धतंत्र की मांग पर विषय वर्ग व आरक्षण श्रेणीवार अभ्यर्थियों का नाम मेरिट कम से रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में से सम्बन्धित जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा।
4. उदाहरणार्थ– यदि कही रिक्ति होती है तो वहॉ के जिला विद्यालय निरीक्षक रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में सबसे ऊपर मेरिट के अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत करने हेतु विद्यालय प्रबन्धतंत्र को निर्देशित करेंगें। रिक्तियों की संख्या से अधिक के पैनल में मेरिट कम 1 की कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद इसी प्रकार अगले अभ्यर्थी के संदर्भ में तब तक कार्यवाही की जाती रहेगी जब तक चयनित अभ्यर्थियों के कार्यभार ग्रहण करने से इंकार करने के कारण रिक्त पदों की पूर्ति न हो जाय।
5. उपर्युक्त के दृष्टिगत यह कहने का निदेश हुआ है कि सभी जिला विद्यालय निरीक्षक तद्नुसार सूचित होकर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय
25-05-2021
उपसचिव
उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड,
प्रयागराज।